निर्मल चंद्र सिन्हा

बनाम

भारत संघ और अन्य

(2001 की सिविल अपील संख्या 8058)

मार्च 31, 2008

(एच.के. सेमा और मार्कंडेय काटजू, जे.जे.)

सेवा कानून:

पदोन्नति और वरिष्ठता- अनुदान –अभिनिर्धारितः पदोन्नति प्रदान किए जाने की तिथि से प्रभावी हुई और न कि उसके रिक्ति होने की तिथि से- वर्तमान मामले में, नियमों के अनुसार, पदोन्नति के लिए विचार करने से पहले निचले पद पर दो साल की नियमित सेवा आवश्यक है- नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है- इसलिए, उच्च न्यायालय ने पदधारी को काल्पनिक पदोन्नति की अनुमति देकर गलती की है क्योंकि उसने निचले पद पर दो वर्ष की अपेक्षित सेवा नहीं की थी।

अपीलकर्ता को 29.11.1996 को भारतीय रेलवे में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया था। वरिष्ठता सहित परिणामी लाभों के साथ 13.03.1996 से काल्पनिक पदोन्नति के उसके दावे को अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया था। उसने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया, जिसे अधिकरण ने खारिज कर दिया। व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने 13.07.1996 से महाप्रबंधक के पद पर काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करते हुए आंशिक रूप से अनुमति दी गई, लेकिन उसे प्रतिवादी संख्या

3 और 4 से ऊपर वरिष्ठता देने की उसकी प्रार्थना को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील अपीलकर्ता और भारत संघ दोनों द्वारा दायर किए गए थे।

भारत संघ द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए और कर्मचारी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

1.1 इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पदोन्नति स्वीकृत होने की तिथि से प्रभावी होती है, न कि रिक्ति होने या पद के सृजन की तिथि से। (पैरा- 7) [638-बी]

भारत संघ और अन्य बनाम केके वडेरा और अन्य 1989 सप्लीमेंट (2) एससीसी 625; उत्तरांचल राज्य एवं अन्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा 2007 (1) एससीसी 683; केवी सुब्बा राव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 1988(2) एससीसी 201 और संजय के. सिन्हा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 2004 (10) एससीसी 734 आदि- पर भरोसा किया गया।

1.2 जब नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने से पहले निचले पद पर दो साल की वास्तविक सेवा की आवश्यकता होती है, तो उस व्यक्ति पर विचार करके उस नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है जिसने निचले पद पर दो साल की सेवा नहीं दी हो। (पैरा-9) [638-एफजी]

भारत संघ बनाम बीएस अग्रवाल और अन्य 1997 (8) एससीसी 89 -प्रतिष्ठित।

2. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को 29.11.1996 को महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन उसने दावा किया कि उसे परिणामी लाभों के साथ 13.3.1996 से पदोन्नत माना जाना चाहिए। उसे यह राहत नहीं दी जा सकती है। यह सुस्थापित कानून है कि रिक्ति की तिथि पदोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक नहीं

है। (पैरा 10) [639-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2001 की सिविल अपील संख्या 8058

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद डब्ल्यूपी नंबर 25555/1998 में अंतिम निर्णय और निर्णय दिनांक 14.12.1999 से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 8059/2001

अपीलकर्ता के लिए सिद्धार्थ दवे, अरविंद वर्मा, जमतीबेन एओ और सुमिता रे।

डॉ. आरजी पाडिया, शालिनी कुमारी और अनिल कटियार के लिए उत्तरदाताओं।

न्यायालय का फैसला मार्कंडेय काटजू, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. ये दो संबंधित अपीलें 1998 की रिट याचिका संख्या 25555 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 14.12.1999 के आक्षेपित फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।

2. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया।

3. अपीलकर्ता निर्मल चंद्र सिन्हा भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसएमई) से हैं, जिनकी नियुक्ति 02.05.1958 को हुई थी। जब महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति के लिए उनके विचार की बारी आई, तो वह दक्षिणी पूर्वी रेलवे के मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। 29.11.1996 को उन्हें महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने परिणामी लाभों के साथ 13.03.1996 से काल्पनिक

पदोन्नति का दावा किया। उनके ओ.ए. को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया, परंतु उस आदेश के खिलाफ उन्होंने एक रिट याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अनुमति दे दी थी।

4. उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले के विरुद्ध अपीलकर्ता निर्मल चंद्र सिन्हा और भारत संघ दोनों द्वारा अपील दायर की गई थी।

5. अपीलकर्ता निर्मल चंद्र सिन्हा द्वारा दायर अपील में, यह आधार लिया गया था कि उच्च न्यायालय ने उन्हें परिणामी लाभों के साथ 13.03.1996 से महाप्रबंधक के रूप में काल्पनिक पदोन्नति देकर रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी थी, परंतु उच्च न्यायालय ने उनकी इस प्रार्थना को गलत तरीके से खारिज कर दिया है कि वह प्रतिस्पर्धी निजी प्रतिवादी संख्या 3 और 4 से वरिष्ठ होना चाहिए। दूसरी ओर, भारत संघ द्वारा दायर अपील में यह आरोप लगाया गया था कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से निर्देश दिया कि अपीलकर्ता निर्मल चंद्र सिन्हा को परिणामी लाभों के साथ 13.03.1996 से महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए।

6. हमारी राय है कि अपीलकर्ता निर्मल चंद्र सिन्हा की अपील 2001 की सिविल अपील संख्या 8058 होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है, जबकि भारत संघ द्वारा सिविल अपील संख्या 8059/2001 के रूप में दायर की गई अपील अनुमति के योग्य है।

7. इस न्यायालय के निर्णयों भारतीय संघ और अन्य बनाम केके वडेरा अन्य 1989 सप्लिमेंट (2) एससीसी 625, उत्तरांचल राज्य और अन्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा 2007 (1) एससीसी 683, केवी सुब्बा राव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 1988(2) एससीसी 201, संजय के. सिन्हा और अन्य बनाम। बिहार राज्य और अन्य 2004 (10) एससीसी 734 आदि की एक श्रृंखला में यह माना गया है कि पदोन्नति स्वीकृत होने

की तिथि से प्रभावी होती है, न कि रिक्ति होने या पद के सृजन की तिथि से।

8. अपीलकर्ता निर्मल चंद्र सिन्हा के वकील ने, हालांकि, इस न्यायालय के भारत संघ बनाम बीएस अग्रवाल और अन्य 1997 (8) एससीसी 89 फैसले पर भरोसा किया। हमने निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और हमारी राय है कि उक्त निर्णय विशिष्ट है। उस मामले में तथ्य यह थे कि प्रासंगिक नियम के तहत महाप्रबंधक पद पर पदोन्नति के लिए निचले पद पर कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल होना आवश्यक था। प्रतिवादी के पास वास्तव में दो साल का कार्यकाल नहीं था, फिर भी इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वह पदोन्नति के लिए योग्य था क्योंकि उसे सूचीबद्ध किया गया था और जिस रिक्ति पर उसे पदोन्नत किया जाना चाहिए था वह पदोन्नति के लिए उसके विचार के दो साल पहले घटित हुई थी।

9. हमारी राय में, भारत संघ बनाम बीएसए अग्रवाल (सुप्रा) में उपरोक्त निर्णय उस मामले की विशेष परिस्थितियों और मानवीय विचारों पर दिया गया था, परंतु इसे अन्य मामलों के लिए एक मिसाल नहीं कहा जा सकता है। जब नियमानुसार किसी व्यक्ति को महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने से पूर्व निचले पद पर दो साल की वास्तविक सेवा की आवश्यकता होती है, तो उस व्यक्ति पर विचार करके उस नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है जिसने दो साल की सेवा नहीं की हो। इसके अतिरिक्त यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बीएस अग्रवाल (सुप्रा) के उपरोक्त निर्णय में, प्रतिवादी को वास्तविकता में महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था, परंतु उसने केवल यह दावा किया था कि वह महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य था। यह तथ्य भी उपरोक्त निर्णय को विशिष्ट बनाता है।

10. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता निर्मल चंद्र सिन्हा को 29.11.1996 को महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था, परंतु उनका दावा है कि उन्हें परिणामी

लाभों के साथ 13.03.1996 से पदोन्नत माना जाना चाहिए। हमें खेद है कि यह राहत उन्हें नहीं दी जा सकती। यह सुस्थापित कानून है कि रिक्ति की घटना की तिथि इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।

11. ऊपर दिए गए कारणों से, आक्षेपित निर्णय रद्द किया जाता है। 2001 की सिविल अपील संख्या 8058 खारिज की जाती है और 2001 की सिविल अपील संख्या 8059 को अनुमति दी जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

2001 की एसकेएस सिविल अपील संख्या 8058 खारिज कर दी गई और 2001 की सिविल अपील संख्या 8059 को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मेघना बघेल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।